

सार्वजनिक सूचना/मुनादी (नगरपालिका कलानौर)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में मैन बाजार, मैन रोड़ व अन्य रोड़ों पर बने नालों/नालियों पर रैम्प व शैड बनाकर और सड़क के किनारों पर अपना सामान/विज्ञापन बोर्ड/रेहड़ी/फड़ी/वाहन खड़े करके मार्ग को अवरुद्ध करके अस्थाई तौर पर कब्जा किया हुआ है, जिससे प्रतिदिन मैन रोहतक-भिवानी रोड़ व बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है और आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सभी कलानौरवासियों व दुकानदारों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी नालों/नालियों पर बने रैम्प व शैड और सड़क के किनारों से अपना सामान/विज्ञापन बोर्ड/रेहड़ी/फड़ी/वाहन तुरंत प्रभाव से हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा नगरपालिका कलानौर द्वारा सामान/विज्ञापन बोर्ड/रेहड़ी/फड़ी/वाहनों को जब्त करते हुए चालान व रैम्प/शैड इत्यादि को अपने स्तर हटवा दिये जायेंगे, जिसके हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचित रहे।

सचिव

नगरपालिका कलानौर।

पृ० क्रमांक:- एम०सी०के०/2025/ 1990-93

दिनांक:-

28/4/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. थाना प्रबन्धक, कलानौर।
2. प्रधान, नगरपालिका कलानौर।
3. समस्त पार्षदगण, नगरपालिका कलानौर।
4. व्यापार मण्डल, कलानौर।

सचिव

नगरपालिका कलानौर।